(6)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 622-दो/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 25-1-2017 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 123/2015-16 अपील

1- ज्ञानेन्द्र 2- संदीपन पुत्रगण रामाश्रय
3- उमाकांत पुत्र रामाधार
4- श्रीमती सुनीता पत्नि स्व0 रमाकान्त
सभी ग्राम ककलपुर तहसील अमरपाटन
जिला सतना, मध्य प्रदेश --आवेदकगण

विरूद्ध

1- रामनरेश पुत्र रामसजीवन
2- नारेन्द्र पुत्र रामाश्रय
दोनों ग्राम ककलपुर तहसील अमरपाटन
जिला सतना, मध्य प्रदेश --अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री अरबिन्द पाण्डेय)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री विजयकुमार त्रिपाठी)

आ दे श

(आज दिनांक 5 - 03 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 123/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-1-17 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अधीक्षक भू अभिलेख-प्रबंधन सतना ने पत्र क्रमांक 477/भू.अ./16 दिनांक 27-9-16 लिखकर अनुविभागीय अधिकारी

अपर पाटन से प्रकरण क्रमांक 62 अ-27/14-15 में पारित आदेश दिनांक 10-11-15 के पुनरावलोकन की अनुमति मांगी। अनुविभागीय अधिकारी अपरपाटन ने प्रकरण क्रमांक 71 अ-74/15-16 पॅजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 29-9-16 पारित करके 10 माह वाद पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत होने से पुनरावलोकन अनुमति प्रदान नहीं की। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर सतना के समक्ष निगरानी क्रमांक 253 अ-74/ 2015-16 प्रस्तुत की गई । कलेक्टर जिला सतना ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 2-11-16 पारित किया तथा अनुविभागीय अधिकारी अपरपाटन का आदेश दिनांक 29-9-16 अमान्य करते हुये पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान कर दी। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील क्रमांक 123/2015-16 प्रस्तुत की। अपर आयुक्त संभाग रीवा ने आदेश दिनांक 25-1-17 से अपील अस्वीकार की। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनावेदक यदि अधीक्षक भू अभिलेख-प्रबंधन सतना के आदेश दिनांक 10-11-15 से दुखी थे तब उन्हें सक्षम न्यायालय में अपील करना थी, किन्तु उनके व्दारा गलत आधारों पर पुनरावलोकन आवेदन दिया है जो समयवाह्य है। अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को छिपाकर कलेक्टर के समक्ष पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया था जो सदभाविक नहीं था इस पर कलेक्टर एंव अपर आयुक्त ने विचार न करने में भूल की है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने एंव कलेक्टर एंव अपर आयुक्त के आदेश निरस्त करने की मांग रखी।

अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 29-9-16 केवल समयवाधित पुनरावलोकन आवेदन के आधार पर है क्योंकि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि तत्समय अधीक्षक भू अभिलेख के समक्ष हुई बटवारा कार्यवाही एकपक्षीय थी जिसके कारण जानकारी के दिन से पुनरावलोकन आवेदन समय सीमा में था। इसके अलावा अधीक्षक भू अभिलेख इससे सहमत रहे है तभी उन्होंने पत्र क्रमांक 477/भू.अ./16 दिनांक 27-9-16 लिखकर अनुविभागीय अधिकारी अपर पाटन से प्रकरण क्रमांक 62 अ-27/14-15 में पारित आदेश दिनांक 10-11-15 के पुनरावलोकन की अनुमति मांगी है। उन्होंने कलेक्टर सतना के आदेश को एंव अपर आयुक्त के आदेश को सही बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के क्रम में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदकगण ने अधीक्षक भू अभिलेख-प्रबंधन सतना को पुनरावलोकन आवेदन दिनांक 22-9-16 शपथ पत्र सहित प्रस्तुत कर निम्नानुसार मांग की है :-

" प्रार्थी/अनावेदक को यह ज्ञात हुआ कि उक्त उन्मान के प्रकरण में श्रीमानजी व्दारा एकपक्षीय आदेश दि. 10-11-2015 को पारित कर दिया गया है जबकि उक्त प्रकरण में न तो आवेदक व अनावेदक की सहमति हुई और न ही फर्द बटवारा पुल्ली में उभय पक्षों के हस्ताक्षर हुये साथ ही मुझ अनावेदक को श्रीमान जी के यहां जारी नोटिस दि. 8-10-15 न ही प्राप्त हुई उक्त नोटिस में आवेदकगणों व्दारा राजस्व कर्मचारियों से मिलकर नोटिस में यह लेख करवा लिया गया कि वाद सम्मन लेने इंकार किये, जबकि ऐसा बिलकुल नहीं हुआ।"

अनावेदकगण के उक्त आवेदन के तथ्यों पर समाधान होने के आधार पर अधीक्षक भू अभिलेख-प्रबंधन सतना ने पत्र क्रमांक 477/भू.अ./16 दिनांक 27-9-16 लिखकर अनुविभागीय अधिकारी अपर पाटन से प्रकरण क्रमांक 62 अ-27/14-15 में पारित आदेश दिनांक 10-11-15 के पुनरावलोकन की अनुमति मांगी है। किन्तु अनुविभागीय अधिकारी अपरपाटन ने वास्तविकता समझे

बिना अनुचित विलम्ब के आधार पर पुनरावलोकन प्रस्ताव अस्वीकार करने में भूल की गई है जिसके कारण कलेक्टर जिला सतना ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 2-11-16 से पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान करने में त्रृटि नहीं है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा ने कलेक्टर जिला सतना के आदेश दिनांक 2-11-16 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। कलेक्टर सतना व्दारा आदेश दिनांक 2-11-16 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा आदेश दिनांक 25-1-17 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 123/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-1-17 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर